359

I/निगरानी/टीकमगढ/भू-रा/2017/1864/

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी /2017

अग्रसेन ट्रस्ट द्वारा ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र मुकुटबिहारी अग्रवाल, निवासी प्रतापपुरा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ

..............आवेदक

विरूद्ध

कैलाश तनय मोहनलाल गुप्ता निवासी पिछोर मेडीकल कॉलेज के पास झांसी जिला झांसी उ0प्र0

..........अनावेदक

श्री ...... द्वारा आज दि. 23-6-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 23.6.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी दण्डाधिकारी निवाडी , जिला टीकमगढ म.प्र. के प्रकरण क 215 | जे.नि. / 017 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27.5.2017 के विरूद्ध।

23/6/17

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि , प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कि ग्प्रम प्रतापपुरा तहसील ओरछा खसरा कमाक 204 आवेदक के स्वामित्व की भूमि है जिसे अनावेदक से रजिस्र्ड विकय पत्र से कय की गई है। उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 6.8. 2003 से पुरूषोतम 2. चन्द्रप्रकाश 3. नारायणदास से भूमि सर्वे कमाक 204 रकवा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/1864 अग्रसेन ट्रस्ट विरूद्ध कैलाश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~21-01-2019~~ 17-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाडी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 215/जे.नि./2017 में पारित आदेश दिनांक 27-05-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-06-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

17-01-2019

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

17.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य